न्यायालय

उनवान

बनाम

मुकदमा नं.

3/10/25	पत्रावली चालान [illegible] की [illegible] पर मनन किया, समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का तहसीलदार सीकर द्वारा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है कि के [illegible] के [illegible] पत्रावली का क्रम पुराने नाम से पत्रावली [illegible] किया जाकर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.07 15:56:54 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक संघ, सीकर